



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022026-269972
CG-DL-E-09022026-269972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]
No. 608]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 638(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इनमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 953 के किमी 104+000 से किमी 121+570 तक के भूखंड (सापुतारा गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से चौसाले तक इपिसी मोड सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित २-लेन/४-लेन का बनाना आदी) तक के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आपत्ती प्रकट कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप कलक्टर (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, नासिक को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को

व्यक्तिगत रूप में विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों को सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ;

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.953 के 104+000 किमी से 121+570 किमी तक सापुतारा महाराष्ट्र-गुजरात हद्द से चौसाळे के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सुरगाना					
गांव का नाम: हातगड					
1	58	निजी	शुष्क	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
2	66	सामान्य	शुष्क /अकृषिक	0.5591 (हेक्टेयर)	0.5591
3	69	निजी	शुष्क	0.2182 (हेक्टेयर)	0.2182
4	70	निजी	शुष्क	0.0808 (हेक्टेयर)	0.0808
5	72	निजी	शुष्क	0.1518 (हेक्टेयर)	0.1518
गांव का नाम: बोरगाव					
6	341	निजी	शुष्क	0.34 (हेक्टेयर)	0.34
7	349	निजी	शुष्क	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
8	350	निजी	शुष्क	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
9	351	निजी	शुष्क	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
10	352	निजी	शुष्क	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
11	353	निजी	शुष्क	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
गांव का नाम: हिरडीपाडा					
12	116	निजी	शुष्क	0.1464 (हेक्टेयर)	0.1464
13	117	निजी	शुष्क	0.0564 (हेक्टेयर)	0.0564

14	138	निजी	शुष्क	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
15	139	निजी	शुष्क	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
16	140	निजी	शुष्क	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
17	34	निजी	शुष्क	0.0661 (हेक्टेयर)	0.0661
18	35	निजी	शुष्क	0.1235 (हेक्टेयर)	0.1235
19	36	निजी	शुष्क	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
गांव का नाम: चिखली					
20	1	निजी	शुष्क	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
21	2	निजी	शुष्क	0.0235 (हेक्टेयर)	0.0235
22	271	निजी	अकृषिक	0.0376 (हेक्टेयर)	0.0376
23	466	निजी	शुष्क	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
24	472	निजी	शुष्क	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
25	475	निजी	शुष्क	0.0419 (हेक्टेयर)	0.0419
26	476	निजी	शुष्क	0.0302 (हेक्टेयर)	0.0302
गांव का नाम: सराड					
27	10	सरकारी	शुष्क	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
28	11	निजी	शुष्क	0.0869 (हेक्टेयर)	0.0869
29	323	निजी	शुष्क	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: घागबारी					
30	160	निजी	शुष्क	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
गांव का नाम: संजय नगर					
31	26	निजी	शुष्क	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
32	28	निजी	शुष्क	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
33	29	निजी	शुष्क	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
34	37	निजी	शुष्क	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
35	40	निजी	शुष्क	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
Total					3.7839

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/44/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 638(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building Construction of a (widening/Two Lane with paved shoulder/Four Lane, etc.,) with paved shoulder configuration, maintenance, management and operation of National Highway No. 953 in the stretch of land from Km. 104+000 to Km. 121+570 (Saputara Gujarat-Maharashtra state Border to Chausale Section) in the district of Nashik in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Collector (Land Acquisition) National Highway Project, Nashik in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 104+000 to Km. 121+570 (Saputara (Gujarat-Maharashtra state Border) to Chausale Section) of National Highway 953 in the district on Nashik in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: NASHIK		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Surgana					
Village: Hatgad					
1	58	Private	Dry	0.17 (Hectare)	0.17
2	66	Common	Dry / Non-Agriculture	0.5591 (Hectare)	0.5591
3	69	Private	Dry	0.2182 (Hectare)	0.2182
4	70	Private	Dry	0.0808 (Hectare)	0.0808
5	72	Private	Dry	0.1518 (Hectare)	0.1518
Village: Borgaon					
6	341	Private	Dry	0.34 (Hectare)	0.34
7	349	Private	Dry	0.25 (Hectare)	0.25
8	350	Private	Dry	0.01 (Hectare)	0.01
9	351	Private	Dry	0.02 (Hectare)	0.02
10	352	Private	Dry	0.17 (Hectare)	0.17
11	353	Private	Dry	0.12 (Hectare)	0.12
Village: Hiradipada					
12	116	Private	Dry	0.1464 (Hectare)	0.1464
13	117	Private	Dry	0.0564 (Hectare)	0.0564
14	138	Private	Dry	0.02 (Hectare)	0.02
15	139	Private	Dry	0.01 (Hectare)	0.01

16	140	Private	Dry	0.05 (Hectare)	0.05
17	34	Private	Dry	0.0661 (Hectare)	0.0661
18	35	Private	Dry	0.1235 (Hectare)	0.1235
19	36	Private	Dry	0.07 (Hectare)	0.07
Village: Chikhali					
20	1	Private	Dry	0.0048 (Hectare)	0.0048
21	2	Private	Dry	0.0235 (Hectare)	0.0235
22	271	Private	Non Agriculture	0.0376 (Hectare)	0.0376
23	466	Private	Dry	0.1 (Hectare)	0.1
24	472	Private	Dry	0.03 (Hectare)	0.03
25	475	Private	Dry	0.0419 (Hectare)	0.0419
26	476	Private	Dry	0.0302 (Hectare)	0.0302
Village: Sarad					
27	10	Government	Dry	0.27 (Hectare)	0.27
28	11	Private	Dry	0.0869 (Hectare)	0.0869
29	323	Private	Dry	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Ghagbari					
30	160	Private	Dry	0.0047 (Hectare)	0.0047
Village: Sanjay nagar					
31	26	Private	Dry	0.04 (Hectare)	0.04
32	28	Private	Dry	0.23 (Hectare)	0.23
33	29	Private	Dry	0.01 (Hectare)	0.01
34	37	Private	Dry	0.202 (Hectare)	0.202
35	40	Private	Dry	0.01 (Hectare)	0.01
Total					3.7839

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/44/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director